न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 70/2016

अपीलान्ट

1. ईश्वरसिंह पुत्र जालमसिंह
2. मूलसिंह पुत्र जालमसिंह
3. भगवतसिंह पुत्र अनाड़सिंह
4. नरपतसिंह पुत्र गजेसिंह
5. ओटसिंह पुत्र गजेसिंह
6. चन्दनसिंह के का0मु0

6.1 गणपतसिंह पुत्र चन्दनसिंह

6.2 अर्जुनसिंह पुत्र चन्दनसिंह

6.3 श्रवणसिंह पुत्र चन्दनसिंह

7. ओंकारसिंह के का0मु0 किशोरसिंह पुत्र ओकारसिंह
8. करणसिंह के का0मु0 मदनसिंह पुत्र करणसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण ऐलाना तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. गंगासिंह पुत्र शैतानसिंह
2. भगवतसिंह पुत्र शैतानसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण ऐलाना तहसील व जिला जालोर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मनोहरसिंह जोधा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मंगलसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.2.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2004 करणसिंह वगैरा बनाम हवाकंवर वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ऐलानी के गत खसरा नम्बर 333 रकबा 157 बीघा 9 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1151 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1152 रकबा 3.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1153 रकबा 6.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1154 रकबा 7.15 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1155 रकबा 4.58 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्तसुदा आराजी हैं। वक्त सेटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी, जबकि उनका उक्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं हैं। इस कारण अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान में बिना बहस सुने जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट्स का वाद खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। प्रथम सेटलमेन्ट में अधिकारियों की लापरवाही से रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी में किसी प्रकार से हक उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं के कब्जे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए विवादित आराजी का अपीलाण्ट्स को खातेदार घोषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि हैं। जिसमें रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा है तथा अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा हैं तथा इसी अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त हैं। इसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनका परीक्षण करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया, जो विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा वांछित अनुतोष को खारिज़ करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट का नाम विलोपित करते हुए अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी भूमि एवं इन्ही पक्षकारों के सम्बन्ध में पूर्व से वाद विचाराधीन होना बताते हुए वाद को कन्सोलिडेट कराने का निवेदन किया। इस पर दोनों ही वाद को कन्सोलिडेट करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया हैं। अपीलाण्ट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था, वह मुख्यतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में था। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था।" इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। इसी प्रकार हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा प्रकरण संख्या/अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा (अशोक राव बनाम अमृतलाल), अपील/टीए/गंगानगर/5160/2004(रामी बनाम विद्यादेवी), अपील/टीए/गंगानगर/5161/2004 (रामी बनाम रामप्रताप) एवं अपील/टीए/कोटा/2780/2009 (रतना बनाम रामनाथ) में दिनांक 30.08.2018 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को दोषपूर्ण मानते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय को विधि में संशोधन हेतु यथोचित कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2004 करणसिंह वगैरा बनाम हवाकंवर वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 13.07.2016 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर